सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 06/2018

1. जगदीश पुत्र सुखदेवा जाति बिश्नोई निवासी 84 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 84 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री मोहनलाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.सुरेश अरोडा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–06.02.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व बिना क्षैत्राधिकार के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.01.2018 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की वाके चक 84 एलएनपी के मु.न. 42 के किला नम्बर 16 व 25 की कृषि भूमि में आने जाने के लिए मु. न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत है जिसमें अप्रार्थी रूकावट डालता है इसलिए पाबंद किया जावे। दिनांक 16.01.2018 को उपतहसीलदार बींझबायला द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने उसी रोज दिनांक 16.01.2018 को बिना किसी प्रभावित पक्षकार को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। निर्विवाद रूप से अपीलार्थी वाके चक 84 एलएनपी के मु.न. 55 के किला नम्बर 1 ता 5 के अभिलिखित खातेदार है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है और ना ही कभी रास्ता चला। वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पो. को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु स्वीकृत शुद्वा रास्ता मु.न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 में होकर मु.न. 43 हेतु स्वीकृत शुद्वा रास्ता मु.न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 से होकर मु.न. 43 के किनारे से होकर प्रवेश करता था। जिसके मु. न. 43 के खातेदार ने बंद कर दिया और अब मु.न. 55 के किला नम्बर 5 में से जबरन नया रास्ता खुलवाना चाहता है जो कि विधि विरूद्व है। अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है मूलत रास्ता में बांधा होने की स्थिति में ग्राम पंचायत को पहले 45 दिवस तक हटवाने का क्षैत्राधिकार है तत्पश्चात् तहसीलदार को कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इसलिए बिना क्षेत्राधिकार के पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रास्ता में उत्पन्न बाधा को हटाने के लिए संक्षिप्त प्रकिया से अप्रार्थी (अपीलार्थी) को नोटिस दिया जाकर दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौका का ज्ञापन पत्र तैयार कर विस्तृत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए। मूलतः रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2018 अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है चूंकि अनुतोष रास्ता दिलवाने बाबत अंकित की है, जबकि अनुतोष में काश्तकार जगदीश को पांबद किये जाने वास्ते अंकित किया है और उप तहसीलदार (ना कि हल्का पटवारी) द्वारा जांच

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रतिवेदन दिनांक 16.01.2018 में अन्य तथ्य उल्लेखित किये है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व बिना क्षैत्राधिकार के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.01.2018 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाने बाबत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की वाके चक 84 एलएनपी के मु.न. 42 के किला नम्बर 16 व 25 की कृषि भूमि में आने जाने के लिए मु.न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत है जिसमें अप्रार्थी रूकावट डालता है इसलिए पाबंद किया जावे। दिनांक 16.01.2018 को उपतहसीलदार बींझबायला द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने उसी रोज दिनांक 16.01.2018 को बिना किसी प्रभावित पक्षकार को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। निर्विवाद रूप से अपीलार्थी वाके चक 84 एलएनपी के मु.न. 55 के किला नम्बर 1 ता 5 के अभिलिखित खातेदार है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है और ना ही कभी रास्ता चला। वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पो. को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु स्वीकृत शुद्वा रास्ता मु.न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 में होकर मु.न. 43 हेतु स्वीकृत शुद्वा रास्ता मु.न. 54 के किला नम्बर 1 ता 5 से होकर मु.न. 43 के किनारे से होकर प्रवेश करता था। जिसके मु. न. 43 के खातेदार ने बंद कर दिया और अब मु.न. 55 के किला नम्बर 5 में से जबरन नया रास्ता खुलवाना चाहता है जो कि विधि विरूद्व है। अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है मूलत रास्ता में बांधा होने की स्थिति में ग्राम पंचायत को पहले 45 दिवस तक हटवाने का क्षैत्राधिकार है तत्पश्चात् तहसीलदार को कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इसलिए बिना क्षेत्राधिकार के पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रास्ता में उत्पन्न बाधा को हटाने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से अप्रार्थी (अपीलार्थी) को नोटिस दिया जाकर दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौका का ज्ञापन पत्र तैयार कर विस्तृत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अधीवक्ता अपीलार्थी ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की है:–

1. आर.आर.डी. 2012 पेज– 126
2. आर.आर.टी. 2016(2) पेज– 815
3. आर.आर.डी. 2014(2) पेज– 13
4. आर.आर.टी. 2014(2) पेज– 1154

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि कृषि भूमि वाके चक 84 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 5 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। मुरब्बा .न. 55 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 42 के साथ चिपती है जिसमें 2–2 बिस्वा रास्ता मौका पर अरसा दराज से चला आ रहा है जिससे प्रार्थी भी अपने मुरब्बा नम्बर 42 के किला नं. 25 में प्रवेश कर अपनी ढाणी में पहुंचता था। अपीलांट का यह कहना कि कोई रास्ता चालु नहीं था, गलत, निराधार व रिकॉर्ड के विपरीत है तथा इस सम्बन्ध में स्वय तहसीलदार द्वारा भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर उसे प्रमाणित किया है कि मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालु है और जिसे खुलवाने के ही आदेश दिए गए है। इससे ही आस–पास की ढाणी के बच्चे मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 1 में बनें राजकीय विद्यालय में पढने हेतु आते–जाते है। इन रिर्पोटो से यह साबित हो चुका है कि मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 1

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ता 5 में पूर्व से ही रास्ता चला आ रहा है और अपीलांट द्वारा बिना वजह उक्त रास्ता में अवरोध पैदा करने के कारण यह जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। राज्य सरकार की नीति पढाई को बढावा देने की है, परन्तु समाज के कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर राज्य सरकार की नीतियों के विरूद्व केवल मात्र अपने स्वार्थ को सिद्व करने के लिए गरीब व मासूम बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए अवरोध पैदा कर रहे है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार पदमपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2018 को देखा। इसके अवलोकन से यह एक प्रशासनिक आदेश मात्र लगता है, किसी राजस्व न्यायालय का विधिवत निर्णय प्रतीत नहीं होता। न ही यह आदेश न्याय के सिद्वातों के अनुसरण में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देकर धारा 251 आर.टी. एक्ट के प्रावधानों/उपबंधों की पालना में पारित किया गया है। यह आदेश नायब तहसीलदार बींझबायला के पत्र संख्या 17 दिनांक 16.01.2018 के अनुसरण में दिया गया है। इस आदेश में धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत कभी भी रास्ता खुलवाने के लिए परम आवश्यक तत्वों का भी विश्लेषण नहीं किया गया है। केवल मात्र रास्ता चालू करवाये जाने को उचित मानना कोई आधार नहीं बनता। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के एसडीओ पदमपुर को प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र दिनांक 10.01.2018 को देखने से स्पष्ट है कि उसमें मु.न. 55 में कोई रास्ते में रूकावट इंगित नहीं है, बल्कि मु.न.54 के किला नम्बर 1 से 5 में रूकावट होना बताता है , जबकि उसमें स्वीकृत शुदा रास्ता है जो बंद होना प्रतिवेदित ही नहीं है। अभिलेख पर नायब तहसीलदार बीझंबायला की रिपोर्ट से भी यही स्पष्ट होता है कि चालू करवाये गये रास्ते **ए से बी** को सुदीर्घ अवधि से सुखाधिकार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता रहा है। उभयपक्ष के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि पूर्व में एक रास्ता उक्त रिपोर्ट के तहत ही मौका नक्शा में **ए से बी** दर्शित से होना बताया है जो मु.न. 43 में ही चालू था। यह रास्ता आज भी बंद होना बताया। मु.न. 43 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकॉर्डेड सहकाश्तकार है और अपनी इस कृषि भूमि में से होकर अपनी रहवासी ढाणी तक जाने के लिए इसका उपयोग वह पूर्व में करता आ रहा था। लिहाजा सबसे उपयुक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के लिए बिना किसी के खातेदारी अधिकारों में दखल दिये आज भी उपलब्ध हो सकता है। लिहाजा मु.न. 43 में पूर्व में चालू रास्ता को यथावत रखे जाने के लिए आदेश दिये जाते है। इस रास्ते को भविष्य में होने वाले किसी सक्षम आदेश तक चालू रखने में अपीलार्थी स्वयं भी पूर्ण सहयोग करेगा ऐसा विश्वास न्यायालय को दिलवाया गया है। रेस्पोडेन्ट के मु.न. 55 के किला नम्बर 5 मे से अपीलांट जो रास्ता मांग रहा है, उसके लिए उसने धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र एसडीओ न्यायालय पदमपुर में प्रस्तुत कर रखा है जिस पर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार पदमपुर दिनांक 16.01.2018 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।